न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/105/2019 दायर दिनांक 19.12.2019

उनवान

1. किशनलाल पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

— वादी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

—प्रतिवादी

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांक: 25.01.2023

—:निर्णय:—

वादी ने वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1,2 जा0दी0 सपठित धारा 88—89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि यह कि यह कि मौजा ग्राम पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन की खाता संख्या 494 में दर्ज आराजी संख्या 2076, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2101, 2102, 2107, 2113, 2122, 2141, 2142, कुल किता 14 कुल रकबा 1.31 हैक्टर स्थित है। उपरोक्त खाता में मांगीलाल पुत्र नारायण हिस्सा 1/4 ब्राह्मण सा. देह खातेदार दर्शा रखा है।

यह कि इसी प्रकार मौजा ग्राम पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन की खाता संख्या 487 में दर्ज आराजी संख्या 970 रकबा 0.03 हैक्टर आ.चा स्थित है। उपरोक्त खाता में मांगीलाल पुत्र नारायण हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार से दर्शा रखा है।

यह कि इसी प्रकार मौजा ग्राम पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन की खाता संख्या 486 में दर्ज आराजी संख्या 2069, 2118, 2145, 962, 964, 965 कुल किता 6 कुल रकबा 0.99 हैक्टर स्थित है। उपरोक्त खाता मांगीलाल पुत्र नारायण हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार से दर्शा रखा है।

यह कि इसी प्रकार मौजा ग्राम पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन की खाता संख्या 477 में दर्ज आराजी संख्या 2054, 2117 कुल किता 2 कुल रकबा 0.06 हैक्टर स्थित है। उपरोक्त खाता मांगीलाल पुत्र नारायण हिस्सा 1/8 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार से दर्शा रखा है। व खाता संख्या 488 के आराजी संख्या 624 रकबा 0.43 है0 में मांगीलाल पुत्र नारायण 10/43 हिस्सा जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार से दर्शा रखा है।

यह कि वादी का रिकार्डेड एवं वास्तविक नाम किशनलाल है जो स्व. नारायण जी का पुत्र है और राज्य सरकार के विभिन्न पहचान के दस्तावेजों राशनकार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, पेन कार्ड, आदि में भी किशनलाल पुत्र नारायण ब्राह्मण ही है । उपरोक्त वादी को परिवार के लोग प्रेम से मांगीलाल के नाम से संबोधित किया करते थे मगर रेकार्ड पहचान के दस्तावेजों में कही मांगीलाल अंकित नही है। रा[illegible] सही नाम वादी किशनलाल के स्थान पर बोलते नाम मांगीलाल से राजस्व रे[illegible] मे [illegible]म अंकित कर दिया जो गलत है जिसकी दूरुस्ती आवश्यक है। अत: [illegible]लम एक में वर्णित तमाम राजस्व जमाबन्दी खातों की दूरुस्ती आदेश डिक्री आवश्यक होकर राजस्व [illegible] से गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:43:42 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज मांगीलाल पुत्र नारायण ब्राह्मण का नाम हटाया जाकर सही नाम किशनलाल पुत्र नारायण ब्राह्मण दर्ज किये जाने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी प्रदान कराई जावें ।
यह कि उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी वादी को राजस्व रेकार्ड की नकले लेने से दिनांक 16/04/2022 को हुई तो वादी ने ग्राम पंचायत से 18/04/2022 को वारीस प्रमाण पत्र लिया और कानूनन दूरुस्ती हेतु वाद पैश है। बिनाय दावा 16/04/2022 से निरन्तर जारी है।
अन्त में वादी की प्रार्थना है कि दूरुस्ती इन्द्राज एवं घोषणा खातेदारी की डिक्री बहक वादी इस आशय की प्रदान कराई जावे कि वाद पत्र में उपरोक्त वर्णित खातों में वादी का नाम किशन लाल पुत्र नारायण ब्राह्मण सा. पाण्डोली की खातेदारी से दर्ज कराया जावें उक्त आशय की डिक्री बहक वादी प्रदान कराई जावे और वाद पत्र वर्णित उपरोक्त खातों में गलत दर्ज मांगीलाल का नाम हटाया जावें । अन्य मुफिद दाद जो वादी हो दिलाई जावे ।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। साक्ष्यवादी में वादी किशनलाल पुत्र नारायण जाति ब्राहम्ण, सहखातेदार नानालाल पिता मोतीलाल निवासी पाण्डोली तथा चुन्नीबाई पुत्री नारायण निवासी पाण्डोली का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। वादी नारायण द्वारा वादपत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 तक खाता संख्या 494, 487, 486, 477, 488 की प्रमाणित नकले, कार्यालय ग्राम पंचायत पाण्डोली स्टेशन द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड की फोटोप्रति, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र की फोटो प्रति, पेनकार्ड की फोटोप्रति पेश की। बहस पत्रावली सुनी गयी।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। प्रस्तुत शपथपत्रों में वादी के सह खातेदार भाई व बहन द्वारा वादी का नाम किशनलाल होना बताया है। साथ ही सम्पूर्ण दस्तावेजों और ग्राम पंचायत वारिस प्रमाण पत्र अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि किशनलाल व मांगीलाल दोनो एक ही नाम के व्यक्ति है। वादी का वाद प्रस्तुत दस्तावेजों व ग्राम पंचायत वारिस प्रमाण पत्र व सहखातेदारों के शपथ पत्रों से वादी के पक्ष मे सिद्ध होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा ग्राम पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन की खाता संख्या 494 में दर्ज आराजी संख्या 2076, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2101, 2102, 2107, 2113, 2122, 2141, 2142, कुल किता 14 कुल रकबा 1.31 हैक्टर व खाता संख्या 487 में दर्ज आराजी संख्या 970 रकबा 0.03 हैक्टर व खाता संख्या 486 में दर्ज आराजी संख्या 2069, 2118, 2145, 962, 964, 965 कुल किता 6 कुल रकबा 0.99 हैक्टर व खाता संख्या 477 में दर्ज आराजी संख्या 2054, 2117 कुल किता 2 कुल रकबा 0.06 हैक्टर तथा खाता संख्या 488 के आराजी संख्या 624 रकबा 0.43 है0 मांगीलाल पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण सा0 देह के स्थान पर किशनलाल पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:43:42 IST
Reason: SelfAttested